राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(महात्मा गांधी नरेगा, अनुभाग--3)

क्रमांकः एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./राजकाज–0057/2013 जयपुर, दिनांक 25 FEB 2022

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत Good Governance में सम्मिलित बिन्दुओं की नियमित पालना व समीक्षा किये जाने एवं रोजगार दिवस के नियमित आयोजन के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 3.2.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मंत्री महोदय ग्रावि एवं पं.राज विभाग की अध्यक्षता में आयोजित महात्मा गांधी नरेगा योजना की समीक्षा बैठक दिनांक 21.02.2022 में योजना से संबंधित Good Governance में सम्मिलित बिन्दुओं की कडाई से पालना एवं समीक्षा किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। उक्त प्रासंगिक विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 03.02.2022 द्वारा पूर्व में भी इस संबंध में निर्देश प्रदान किये गये थे। अतः योजना के सुचारु रुप से कियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें :–

1. प्रत्येक कार्यस्थल पर स्थानीय सामग्री से निर्मित स्थायी ''नागरिक सूचना बोर्ड'' लगाये जावें तथा इन पर कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी आवश्यक रुप से लिखवाई जावें।
2. प्रत्येक ग्राम पंचायत पर 7 mandatory रजिस्टरों का संधारण किया जावे।
3. प्रत्येक स्वीकृत कार्य की पत्रावली का संधारण आवश्यक रुप से किया जावे। पत्रावली में समस्त दस्तावेज यथा – कार्य की तकनीकी स्वीकृती, तकमीना, नक्शा, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती, मस्टररोल, बिल, वाउचर्स इत्यादि उपलब्ध हो। पत्रावली की एक प्रति कार्यस्थल पर भी उपलब्ध हो।
4. योजना में कार्य हेतु इच्छुक परिवारों को नए जॉबकार्ड जारी करने एवं जॉबकार्डस के विघटन (Splitting) की नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
5. जॉबकार्डस का नवीनीकरण, अद्यतन (Updation) तथा सत्यापन नियमित रुप से किया जावे। कार्यस्थल पर नियोजित प्रत्येक श्रमिक का अपडेटेड जॉबकार्ड उपलब्ध हो। जॉबकार्ड में नियोजन एवं भुगतान संबंधी प्रविष्टियां नियमित रुप से की जावे।

E:\Mukesh\Letter.doc 374

Scanned with CamScanner

6. सभी ग्राम पंचायतों में प्रत्येक गुरुवार को रोजगार दिवस का आयोजन नियमित रुप से किया जावें जिसमें योजनान्तर्गत रोजगार की मांग के साथ–साथ शिकायतों को भी दर्ज किये जाने की व्यवस्था की जावे।

7. संशोधित प्रपत्र–6 (100 दिवस के रोजगार की एक साथ मांग हेतु) में रोजगार की मांग हेतु आवेदन प्राप्त कर, दिनांकित प्राप्ति रसीद संबंधित श्रमिक को दी जावे। मेट के पास कार्यस्थल पर भी पर्याप्त संख्या में प्रपत्र–6 उपलब्ध रहें। श्रमिक को मांग के अनुसार निर्धारित समय सीमा में रोजगार उपलब्ध करवाया जावे।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं की नियमित पालना एवं समीक्षा सुनिश्चित की जावे।

भवदीय

(के.के. पाठक)
शासन सचिव, ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।

परि.निदे.एवं उप शासन सचिव, ईजीएस

Scanned with CamScanner